तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/4/26	पत्रावली पेश हुई। दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादी द्वारा डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नेबा के कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। [signature] उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)	

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास

उनवान

1. जयसिंह उम्र 68 साल
3. करतारसिंह उम्र 66 साल
4. उम्मेदीबाई उम्र 72 साल
5. रामप्यारबाई उम्र 62 साल
6. रामसिंह उम्र 66 साल
7. गजराजसिंह उम्र 56 साल

पुत्र पुत्रीगण उमरावसिंह

8. शीलादेवी उम्र 48 साल पत्नि महाराजसिंह
9. महावीरसिंह पुत्र महाराजसिंह उम्र 21 साल
10. रोशनीबाई उम्र 22 साल पुत्री महाराजसिंह
11. सभी जाति राजपूत निवासी मेलागेट मोगिया बस्ती करौली तहसील व जिला करौली राज0

–वादीगण

बनाम

1. लक्ष्मणसिंह उम्र 66 साल
2. जलसिंह उम्र 58 साल
3. समन्दरसिंह उम्र 62 साल

पुत्रान भैरोसिंह निवासी मेलागेट मोगिया बस्ती करौली तहसील व जिला करौली राज0

4. सरदारसिंह उम्र 56 साल
5. हाकिमसिंह उम्र 56 साल
6. माखनसिंह उम्र 42 साल

पुत्रान रामजीलाल

7. ज्ञानसिंह उम्र 56 साल
8. प्रकाश उम्र 52 साल

पुत्र रामसरण

9. जानकीदेवी उम्र 75 साल पत्नि रामसरण
10. मंजू पत्नि जोतसिंह उम्र 43 साल
11. रेगसिंह उम्र 33 साल पुत्र रामसरण
12. राजू उम्र 28 साल पुत्र रामसरण
13. छगन आयु 22 साल
14. गगन उम्र 25 साल
15. इन्दर उम्र 18 साल

पुत्रान मानसिंह

सभी जाति राजपूत निवासी मेलागेट मोगिया बस्ती करौली तहसील व जिला करौली

16. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील करौली, जिला करौली

–प्रतिवादीगण

दावा घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती धारा 188 आर टी एक्ट
मुकदमा नं. 35/22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री रामनिवास पाराशर**, एडवोकेट मिनजानिब मुदई रूबरू **श्री विष्णु चंद बंसल, एडवोकेट** मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। वादीगण को वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 8749 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा ग्राम करवा करौली पटवार हल्का नंबर 10 तहसील करौली का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह भूमि को रहन–वय नहीं करें एवं वादीगण के कब्जे काश्त में मदाखलत नहीं करें। प्रतिवादी नंबर 16 वादीगण के हक में राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी इन्द्राज अमल करें। प्रतिवादी नंबर 1 ता 15 का नाम खातेदारी से हजफ किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार, करौली को भिजवायी जावे।

निज ..... मुबलिग ..... बावत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज वगरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।

वसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 30/4/26 को सन् 2026 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

मुदई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी, करौली

मु0न0:–35/22 तारीख रजु:–29.09.2022

उनवान

1. जयसिंह उम्र 68 साल
2. करतारसिंह उम्र 66 साल
3. उम्मेदीवाई उम्र 72 साल
4. सम्पतवाई उम्र 52 साल
5. समयसिंह उम्र 56 साल
6. गजरासिंह उम्र 56 साल

पुत्र–पुत्रीयान उगडसिंह

7. शीलादेवी उम्र 48 साल पत्नि महाराजसिंह
8. महावीरसिंह पुत्र महाराजसिहं उम्र 21 साल
9. रोशनीवाई उम्र 22 साल पुत्री महाराजसिंह
10. सभी जाति राजपूत निवासी मेलागेट मोगिया वस्ती करौली तहसील व जिला करौली राज0

–वादीगण

बनाम

1. लक्ष्मणसिंह उम्र 65 साल
2. जलसिंह उम्र 58 साल
3. समन्दरसिंह उम्र 52 साल

पुत्रान भैरोसिंह निवासी मेलागेट मोगिया वस्ती करौली तहसील व जिला करौली राज0

4. सरदारसिंह उम्र 56 साल
5. हाकिमसिंह उम्र 56 साल
6. माखनसिंह उम्र 42 साल

पुत्रान रामजीलाल

7. ज्ञानसिंह उम्र 56 साल
8. प्रकाश उम्र 52 साल

पुत्र रामसरण

9. जानकीदेवी उम्र 75 साल पत्नि रामसरण
10. मंजू पत्नि जोतसिंह उम्र 43 साल
11. रेगसिंह उम्र 33 साल पुत्र रामसरण
12. राजू उम्र 28 साल पुत्र रामसरण
13. छगन आयु 22 साल
14. गगन उम्र 25 साल
15. इन्दर उम्र 18 साल

पुत्रान मानसिंह

सभी जाति राजपूत निवासी मेलागेट मोगिया वस्ती करौली तहसील व जिला करौली

16. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील करौली, जिला करौली

–प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

दावा घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती धारा 188 आर टी एक्ट

—::निर्णय::— दिनांक :—30/5/25

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण के स्व. पिता व परपिता उगडसिंह पुत्र भजन की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 8749 रकवा 2.0900 है. भूमि कस्बा करौली में स्थित है जो काश्तकारी अधिनियम प्रारम्भ होने के पूर्व से उसके खाते में चली आ रही थी उनकी मृत्यु पश्चात उक्त भूमि को वादीगण वाहैसियत खातेदार काश्तकार काश्त करते चले आ रहे है और काश्त कर फसल का लाभ प्राप्त कर रहे है लगान सरकार में जमा कराते चले आ रहे है वर्तमान में मौके पर काबिज है प्रमाण में संवत् 2015 लगायत 2022 तक की जमाबंदी प्रमाण में पेश है। विवादित भूमि आराजी खसरा नं0 8749 से प्रतिवादीगण व उसके पूर्वज का किसी प्रकार का कोई लेना व ताल्लुक सरोकार किसी भी प्रकार का नही रहा है ना है निरन्तर 2015 से 2022 तक वाहिद राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में इन्द्राज उगडसिंह वादीगण के पिता – परपिता के मौजूद है आराजी खसरा नं0 8950 व 8951 वादीगण के पिता के साथ भौरूसिंह धनीराम पिसरान वल्देव, भैरोसिंह पुत्र खुमानसिंह 1/4, 1/4 हक हिस्से के खातेदार रहे है जो मर चुके है जिनके वारिसान प्रतिवादीगण है जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 337 दिनांक 3.5.73 खोलते वक्त उक्त दोनों नंबरान के साथ विवादित खसरा नंबर 8749 रकवा 2 वीघा 9 विस्वा भूमि में राजस्व कर्मियों ने सहवन भूलवश खाते में वादीगण के पिता के साथ गलत रूप में विरासत दर्ज करते हुऐ रामसरण सिंह रामजीलाल पुत्र धनीराम, भैरोसिंह खुमानसिंह यानी प्रतिवादीगण के पिता व बाबाओ का नाम वगैर किसी कानूनी अधिकार के नामान्तकरण

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

कतई नियमविरूद्ध गैरकानूनी रूप से दीगर आराजी खसरा नंबर 8950, 8951 के रकबे के साथ विवादित का तस्दीक कर दिया जो प्रारम्भ से ही शून्य होने के कारण वादीगण उसे शून्यकरणीय घोषित कराने के अधिकारी है। उक्त नामान्तकरण के द्वारा कतई अवैधानिक रूप से खातेदारी प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम विवादित आराजीयात के इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रविष्ट किये गये है जिन्हें हटाया जाकर वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना कानूनन आवश्यक एंव न्यायोचित है राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि वाबत् घोषणा वादीगण के हको की करते हुऐ राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में तदानुसार इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने के आदेश लैण्ड होल्डर को पारित किये जावें। राजस्व रिकार्ड की नकल वर्ष 2020–21 में निकलवाने पर उक्त फर्जकारी पूर्ण तरीके से प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम हुऐ इन्द्राज की जानकारी होने पर उनसे इन्द्राज दुरूस्ती कराने को 1 मार्च 2022 को कहा गया तो वह टहलाते रहे और कहा कि आप हम पर विश्वास करो प्रशासन शहरो में आने पर प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष पेश कर इन्द्राज दुरूस्ती करा देगे आप निश्चित रहो कब्जा विवादित भूमि पर आपका मौजूद है प्रतिवादीगण के आश्वासन पर वादीगण ने विश्वास किया अब दिनांक 1.9.22 को प्रतिवादीगण से इन्द्राज कराने को कहा तो प्रतिवादीगण ने ऐलानिया धमकी दी कि हम कोई इन्द्राज दुरूस्ती नही करायेगे तो जमीन को रहन व्यय करेंगे तुम्हारी इच्छा हो जहां पुकारो इसी वजह यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है प्रतिवादीगण के इस कृत्य से हकूक वादीगण पर भारी कुठाराघात होगा इसलिये वादीगण विवादित भूमि की घोषणा कराने व तदानुसार इन्द्राज दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने एवं

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराने के अधिकारी हैं। विनाय मुखासमत दिनांक 1.9.2022 को फर्जी इन्द्राज की दुरूस्त कराने की प्रतिवादीगण से कहने व उनके द्वारा इन्कार करने पर पैदा हुई दावा अन्दर मियाद पेश है व काबिल समाअत अदालत हाजा है। अंत दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नंबर 14 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी नंबर 1 ता 8 व 15 द्वारा जबाव दावा प्रस्तुत कर कथन किया है आराजीयात वादीगण के पिता व पर पिता उगडसिंह पुत्र भजन के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की रही होना वादीगण ने असत्य दर्ज किया है। उक्त आराजीयात प्रतिवादीगण के पिता भैरोसिंह वगै0 की सेटिलमेंट 2015 से पूर्व से ही कब्जे काश्त व खातेदारी अधिकार में रही है। वादीगा उसके पिता व परपिता सेटिलमेंट संवत् 2015 से ही कब्जा काश्त नही रहा है। सेटिलमेंट संवत् 2015 से भी आज तक उक्त भूमि पर कब्जा काश्त व खातेदारी प्रतिवादीगण के हक में चली आ रही है। पिता प्रतिवादीगण भैरोंसिंह के हक में रही हैं। पिता प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादीगण ही संवत् 2010 से 2013 से काबिज काश्त चले आ रहे है। हम प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि होना वादीगण की पूर्ण जानकारी में है। फसल लाभ प्रतिवादीगण व पिता प्रतिवादीगण लेते आ रहे हैं और लगान सरकार में जमा कराते आ रहे हैं। प्रतिवादीगण के पिता व प्रतिवादीगण विधि अनुसार खातेदार काश्तकार है। वादीगण ने उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई संबंध में होना असत्य दर्ज किया है। प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार हैं भूमि पर काबिज काश्त हे।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

राजस्व रिकार्ड में खातेदारी काश्तकारी इन्द्राज प्रतिवादीगण के हक में उगडसिंह के हक में विधि अनुसार खातेदारी इन्द्राज नही रहे है। खातेदारी इन्द्राज प्रतिवादीगण के हक में भूमि काश्त करने के इन्द्राज प्रतिवादीगण पिता प्रतिवादीगण के हक में है वादीगण ने खसरा न0 8950 व 8957 की भूमि के साथ भौरूसिंह, धनीराम पिसरान बलदेव एवं भैरोसिंह पुत्र खुमान सिंह के हक में खातेदारी इन्द्राज होना दर्ज किया है यह आराजीयात के इन्द्राजात प्रतिवादीगण के हक में होना वादीगण ने स्वीकार कर रखा है। विवाद भूमि के भी खातेदारी काश्तकारी इन्द्राज प्रतिवादीगण के हक में है जो वर्ष 2010 से 2013 से पूर्व से ही विवादित आराजीयात के प्रतिवादीगण के हक में हो रहे है। खातेदारी इन्द्राज सही है विधिवत है। नामांतकरण संख्या 337 दिनांक 03.05.1973 की कोई अपील वादीगण ने नही की है। वादीगण ने सहवन भूलवश इन्द्राज को शून्य घोषित कराने के अधिकारी नही है। भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त संवत् 2010 से आज दिवस तक नही है। बल्कि कब्जा काश्त भैरोंसिंह काश्तकार है। वादीगण द्वारा दर्ज तथ्य हम प्रतिवादीगण को स्वीकार नही है। वादीगण जमाबंदी इन्द्राज को हटवाने के अधिकारी नही है। दुरूस्त कराने के अधिकारी नही है। वादीगण घोषणा कराने के अधिकारी नही है। वादीगण का हम प्रतिवादीगण के हक हकूक खातेदारी अधिकार की कब्जा काश्त अधिकार की भूमि पर कब्जा नही है। हक हकूक खातेदारी वादीगण नही है। सन् 1955 से पूर्व से भूमि पर कब्जा प्रतिवादीगण है। वादीगण की प्रतिवादीगण से कब्जा प्राप्त करने की मियाद अवधि समाप्त हो चुकी हैं। वादीगण हम प्रतिवादीगण से कब्जा पाने के अधिकारी नही हैं। वादीगण को विनाय दावा पचासों वर्ष उदय हो चुका है। वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

का वाद मियाद बाहर होने से अस्वीकार किये जाने योग्य है। वादीगण को इन्द्राजात की जानकारी पचासों वर्ष पूर्व से है। हम प्रतिवादीगण से 01.03.2022 में वादीगण ने इन्द्राज दुरूस्ती कराने को नही कहा है। कब्जा भूमि पर हम प्रतिवादीगण का है जो वादीगण की जानकारी में पचासों वर्ष पूर्व से ही है। वादीगण ने इस पैरा में झूठा वाद कारण बनाने को असत्य तथ्य दर्ज किये है। हम प्रतिवादीगण से वादीगण ने खातेदारी कराने को नही कहा है ना ही हमने वादीगण के हक में खातेदारी कराने की कहा हैं। हम प्रतिवादीगण हमारे खातेदारी हक की सारे हिस्से की भूमि को हम काश्त कर रहे है। वादीगण हमारे खातेदारी की भूमि की घोषणा कराने के, राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कराने के, हम प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वादीगण ने असत्य तथ्य दर्ज कर यह वाद पेश किया है जो अस्वीकार किये जाने योग्य है। वादीगण ने संवत् 2010 से 2013 से जमाबंदी इन्द्राज पेश नही किये है। वादीगण के पितामह उगडसिंह के हक में हुए इन्द्राज जमाबंदी संवत् 2015 बिना आधार है, अवैध है। ऐसे बिना आधार जमाबंदी इन्द्राज कानूनन कोई प्रभाव नही रखते है। वादीगण ने संवत् 2010 से 2013 में इस भूमि के जमाबंदी खातेदारी इन्द्राज पेश नही किये है। संवत् 2010 से 2013 में अकेले उगडसिंह पुत्र भजन के नाम खातेदारी इन्द्राज नही रहे है। इस स्थिति से भी वादीगण का वाद अस्वीकार किये जाने योग्य है। वादीगण ने दिनांक 01.09.2022 के दिवस इन्द्राज के फर्जी होने की जानकारी होना असत्य दर्ज किया है। हम प्रतिवादीगण से वादीगण ने इन्द्राज दुरूस्त करने की उक्त दिवस को नही कहा है। वादीगण को इन्द्राज की जानकारी वर्ष 1973 से ही रही है। उससे पूर्व संवत् 2010 से 2013 में पिता

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

वादीगण को जानकारी रही है। वादीगण का वाद कारण के अभाव में अस्वीकार किये जाने योग्य है। इन्द्राज राजस्व रिकार्ड वहक प्रतिवादीगण सही है विधिवत हैं, फर्जी नही है। वादीगण का वाद मियाद बाहर होने से ही अस्वीकार किये जाने योग्य है। वादीगण चाही गई सहायता प्रतिवादीगण के विरूद्व न्यायालय से प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वादीगण का वाद अस्वीकार किये जाने योग्य है। वादीगण खातेदारी अधिकारी की घोषणा कराने के, राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कराने के अधिकारी नही है। वादीगण का भूमि का कब्जा काश्त नही है। भूमि पर कब्जा काश्त पचासों वर्ष से प्रतिवादीगण का है वादीगण का वाद कब्जा के अभाव में अस्वीकार किये जाने योग्य है। वादीगण ने कब्जा वापसी की सहायता नही चाही है। कब्जा पचासों वर्ष पूर्व से प्रतिवादीगण का है। कब्जा वापसी मियाद वादीगण की समाप्त हो चुकी है। अकेला घोषणा वाद कानूनन चलने योग्य नही हैं। वादीगण का दायरी दावा से पूर्व से भूमि पर कब्जा काश्त नही है। वादीगण कब्जे के अभाव में प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। जब वादीगण का भूमि पर कब्जा ही नही है तब वादीगण का वाद स्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार किये जाने योग्य है। अंत में दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वादी व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्नांकित विवाद्यक बिन्दू विरचित किये गयेः–

1. आया विवादित आराजी खसरा नं0 8749 रकवा 2.0900 है. भूमि कस्बा करौली की वादीगण खातेदार काश्तकार एवं मौके पर काबिज हैं।

——वादी

2. आया विवादित आराजी खसरा नंबर 8950, 8951 वादीगण के पिता के भौमसिंह, धनीराम पुत्रान बलदेव, भौरयासिंह पुत्र गुमान सिंह

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

1/4–1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार रहे है। प्रतिवादीगण उसके वारिसान है। जिन्होने उक्त खसरा नंबरों के साथ–साथ विवादित भूमि खसरा नंबर 8749 की नामान्तकरण कर्ता गैर कानूनी करा लिया। इसलिए वादीगण घोषणा कराकर खातेदारी इन्द्राज दुरूस्ती कराने के अधिकारी है।

––वादी

3. दावा म्याद बाहर होने से चलने योग्य नही है।

––प्रतिवादीगण

4. अनुतोष :–

वाद विवाद्यक बिन्दू वादी साक्ष्य ली गई। वादी नें अपनी मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यू–1 जयसिंह के बयान लेखबद्व कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में जमाबंदी संवत 2076–79 प्रदर्श–1 व 2, जमाबंदी संवत 2019–2022 प्रदर्श–3 व 4, सेटलमेंट खतौनी संवत 2015 प्रदर्श 6 व 7 एवं नकल नामांतकरण 336 प्रदर्श–8 को पेश कर प्रदर्शित कराया है एवं गवाह बलदेव सिंह की मौखिक साक्ष्य लेखबद्व कराई है। साक्ष्य वादी समाप्त कर बंद की गई।

प्रतिवादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी सरदार सिंह डीडब्ल्यू–1 व गवाह लक्ष्मण सिंह डीडब्ल्यू–2 के बयान लेखबद्व कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में खसरा गिरदावरी संवत 2064–67 प्रदर्श ए–1 को पेश कर प्रदर्शित कराया है। साक्ष्य प्रतिवादी समाप्त कर बंद की गई।

बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादी का बहस में कथन है कि वादीगण के स्व. पिता व परपिता उगडसिंह पुत्र भजन की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 8749 रकवा 2.0900 है. भूमि कस्बा करौली में स्थित है जो काश्तकारी अधिनियम प्रारम्भ होने के पूर्व से उसके

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

खाते में चली आ रही थी उनकी मृत्यु पश्चात उक्त भूमि को वादीगण वाहैसियत खातेदार काश्तकार काश्त करते चले आ रहे है और काश्त कर फसल का लाभ प्राप्त कर रहे है लगान सरकार में जमा कराते चले आ रहे है वर्तमान में मौके पर काबिज है प्रमाण में संवत् 2015 लगायत 2022 तक की जमाबंदी प्रमाण में पेश है। विवादित भूमि आराजी खसरा नं0 8749 से प्रतिवादीगण व उसके पूर्वज का किसी प्रकार का कोई लेना व ताल्लुक सरोकार किसी भी प्रकार का नही रहा है ना है निरन्तर 2015 से 2022 तक वाहिद राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में इन्द्राज उगडसिंह वादीगण के पिता – परपिता के मौजूद है आराजी खसरा नं0 8950 व 8951 वादीगण के पिता के साथ भौरूसिंह धनीराम पिसरान वल्देव, भैरोसिंह पुत्र खुमानसिंह 1/4, 1/4 हक हिस्से के खातेदार रहे है जो मर चुके है जिनके वारिसान प्रतिवादीगण है जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 337 दिनांक 3.5.73 खोलते वक्त उक्त दोनों नंबरान के साथ विवादित खसरा नंबर 8749 रकवा 2 वीघा 9 विस्वा भूमि में राजस्व कर्मियों ने सहवन भूलवश खाते में वादीगण के पिता के साथ गलत रूप में विरासत दर्ज करते हुऐ रामसरण सिंह रामजीलाल पुत्र धनीराम, भैरोसिंह खुमानसिंह यानी प्रतिवादीगण के पिता व बाबाओ का नाम वगैर किसी कानूनी अधिकार के नामान्तकरण कतई नियमविरूद्व गैरकानूनी रूप से दीगर आराजी खसरा नंबर 8950, 8951 के रकवे के साथ विवादित का तस्दीक कर दिया जो प्रारम्भ से ही शून्य होने के कारण वादीगण उसे शून्यकरणीय घोषित कराने के अधिकारी है। उक्त नामान्तकरण के द्वारा कतई अवैधानिक रूप से खातेदारी प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम विवादित आराजीयात के इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रविष्ट किये गये

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

है जिन्हें हटाया जाकर वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना कानूनन आवश्यक एंव न्यायोचित है राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि वावत् घोषणा वादीगण के हको की करते हुऐ राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में तदानुसार इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने के आदेश लैण्ड होल्डर को पारित किये जावें। राजस्व रिकार्ड की नकल वर्ष 2020–21 में निकलवाने पर उक्त फर्जकारी पूर्ण तरीके से प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम हुऐ इन्द्राज की जानकारी होने पर उनसे इन्द्राज दुरूस्ती कराने को 1 मार्च 2022 को कहा गया तो वह टहलाते रहे और कहा कि आप हम पर विश्वास करो प्रशासन शहरो में आने पर प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष पेश कर इन्द्राज दुरूस्ती करा देगे आप निश्चित रहो कब्जा विवादित भूमि पर आपका मौजूद है प्रतिवादीगण के आश्वासन पर वादीगण ने विश्वास किया अब दिनांक 1.9.22 को प्रतिवादीगण से इन्द्राज कराने को कहा तो प्रतिवादीगण ने ऐलानिया धमकी दी कि हम कोई इन्द्राज दुरूस्ती नही करायेगे तो जमीन को रहन व्यय करेंगे तुम्हारी इच्छा हो जहां पुकारो इसी वजह यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है प्रतिवादीगण के इस कृत्य से हकूक वादीगण पर भारी कुठाराघात होगा इसलिये वादीगण विवादित भूमि की घोषणा कराने व तदानुसार इन्द्राज दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराने के अधिकारी हैं। अंत में दावा वादी डिक्री किया जावे।

वकील प्रतिवादी का बहस में कथन है कि आराजीयात वादीगण के पिता व पर पिता उगडसिंह पुत्र भजन के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की रही होना वादीगण ने असत्य दर्ज किया है। उक्त

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

आराजीयात प्रतिवादीगण के पिता भैरोसिंह वगै0 की सेटिलमेंट 2015 से पूर्व से ही कब्जे काश्त व खातेदारी अधिकार में रही है। वादीगा उसके पिता व परपिता सेटिलमेंट संवत् 2015 से ही कब्जा काश्त नही रहा है। सेटिलमेंट संवत् 2015 से भी आज तक उक्त भूमि पर कब्जा काश्त व खातेदारी प्रतिवादीगण के हक में चली आ रही है। पिता प्रतिवादीगण भैरोंसिंह के हक में रही हैं। पिता प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादीगण ही संवत् 2010 से 2013 से काबिज काश्त चले आ रहे है। हम प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि होना वादीगण की पूर्ण जानकारी में है। फसल लाभ प्रतिवादीगण व पिता प्रतिवादीगण लेते आ रहे हैं और लगान सरकार में जमा कराते आ रहे हैं। प्रतिवादीगण के पिता व प्रतिवादीगण विधि अनुसार खातेदार काश्तकार है। वादीगण ने उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई संबंध में होना असत्य दर्ज किया है। प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार हैं भूमि पर काबिज काश्त हे। राजस्व रिकार्ड में खातेदारी काश्तकारी इन्द्राज प्रतिवादीगण के हक में उगडसिंह के हक में विधि अनुसार खातेदारी इन्द्राज नही रहे है। खातेदारी इन्द्राज प्रतिवादीगण के हक में भूमि काश्त करने के इन्द्राज प्रतिवादीगण पिता प्रतिवादीगण के हक में है वादीगण ने खसरा न0 8950 व 8957 की भूमि के साथ भौरूसिंह, धनीराम पिसरान बलदेव एवं भैरोसिंह पुत्र खुमान सिंह के हक में खातेदारी इन्द्राज होना दर्ज किया है यह आराजीयात के इन्द्राजात प्रतिवादीगण के हक में होना वादीगण ने स्वीकार कर रखा है। विवाद भूमि के भी खातेदारी काश्तकारी इन्द्राज प्रतिवादीगण के हक में है जो वर्ष 2010 से 2013 से पूर्व से ही विवादित आराजीयात के प्रतिवादीगण के हक में हो रहे है। खातेदारी इन्द्राज सही है विधिवत है। नामांतकरण संख्या 337

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

दिनांक 03.05.1973 की कोई अपील वादीगण ने नही की है। वादीगण ने सहवन भूलवश इन्द्राज को शून्य घोषित कराने के अधिकारी नही है। भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त संवत् 2010 से आज दिवस तक नही है। बल्कि कब्जा काश्त भैरोंसिंह काश्तकार है। वादीगण द्वारा दर्ज तथ्य हम प्रतिवादीगण को स्वीकार नही है। वादीगण जमाबंदी इन्द्राज को हटवाने के अधिकारी नही है। दुरूस्त कराने के अधिकारी नही है। वादीगण घोषणा कराने के अधिकारी नही है। वादीगण का हम प्रतिवादीगण के हक हकूक खातेदारी अधिकार की कब्जा काश्त अधिकार की भूमि पर कब्जा नही है। हक हकूक खातेदारी वादीगण नही है। सन् 1955 से पूर्व से भूमि पर कब्जा प्रतिवादीगण है। वादीगण की प्रतिवादीगण से कब्जा प्राप्त करने की मियाद अवधि समाप्त हो चुकी हैं। वादीगण हम प्रतिवादीगण से कब्जा पाने के अधिकारी नही हैं। वादीगण को विनाय दावा पचासों वर्ष उदय हो चुका है। वादीगण का वाद मियाद बाहर होने से अस्वीकार किये जाने योग्य है। वादीगण को इन्द्राजात की जानकारी पचासों वर्ष पूर्व से है। हम प्रतिवादीगण से 01.03.2022 में वादीगण ने इन्द्राज दुरूस्ती कराने को नही कहा है। कब्जा भूमि पर हम प्रतिवादीगण का है जो वादीगण की जानकारी में पचासों वर्ष पूर्व से ही है। वादीगण ने इस पैरा में झूठा वाद कारण बनाने को असत्य तथ्य दर्ज किये है। हम प्रतिवादीगण से वादीगण ने खातेदारी कराने को नही कहा है ना ही हमने वादीगण के हक में खातेदारी कराने की कहा हैं। हम प्रतिवादीगण हमारे खातेदारी हक की सारे हिस्से की भूमि को हम काश्त कर रहे है। वादीगण हमारे खातेदारी की भूमि की घोषणा कराने के, राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कराने के, हम प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

है। वादीगण ने असत्य तथ्य दर्ज कर यह वाद पेश किया है जो अस्वीकार किये जाने योग्य है। वादीगण ने संवत् 2010 से 2013 से जमाबंदी इन्द्राज पेश नही किये है। वादीगण के पितामह उगडसिंह के हक में हुए इन्द्राज जमाबंदी संवत् 2015 बिना आधार है, अवैध है। ऐसे बिना आधार जमाबंदी इन्द्राज कानूनन कोई प्रभाव नही रखते है। वादीगण ने संवत् 2010 से 2013 में इस भूमि के जमाबंदी खातेदारी इन्द्राज पेश नही किये है। संवत् 2010 से 2013 में अकेले उगडसिंह पुत्र भजन के नाम खातेदारी इन्द्राज नही रहे है। इस स्थिति से भी वादीगण का वाद अस्वीकार किये जाने योग्य है। वादीगण ने दिनांक 01.09.2022 के दिवस इन्द्राज के फर्जी होने की जानकारी होना असत्य दर्ज किया है। हम प्रतिवादीगण से वादीगण ने इन्द्राज दुरूस्त करने की उक्त दिवस को नही कहा है। वादीगण को इन्द्राज की जानकारी वर्ष 1973 से ही रही है। उससे पूर्व संवत् 2010 से 2013 में पिता वादीगण को जानकारी रही है। वादीगण का वाद कारण के अभाव में अस्वीकार किये जाने योग्य है। इन्द्राज राजस्व रिकार्ड वहक प्रतिवादीगण सही है विधिवत हैं, फर्जी नही है। वादीगण का वाद मियाद बाहर होने से ही अस्वीकार किये जाने योग्य है। वादीगण चाही गई सहायता प्रतिवादीगण के विरूद्व न्यायालय से प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वादीगण का वाद अस्वीकार किये जाने योग्य है। वादीगण खातेदारी अधिकारी की घोषणा कराने के, राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कराने के अधिकारी नही है। वादीगण का भूमि का कब्जा काश्त नही है। भूमि पर कब्जा काश्त पचासों वर्ष से प्रतिवादीगण का है वादीगण का वाद कब्जा के अभाव में अस्वीकार किये जाने योग्य है। वादीगण ने कब्जा वापसी की सहायता नही चाही है। कब्जा पचासों वर्ष पूर्व से

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

प्रतिवादीगण का है। कब्जा वापसी मियाद वादीगण की समाप्त हो चुकी है। अकेला घोषणा वाद कानूनन चलने योग्य नही हैं। वादीगण का दायरी दावा से पूर्व से भूमि पर कब्जा काश्त नही है। वादीगण कब्जे के अभाव में प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। जब वादीगण का भूमि पर कब्जा ही नही है तब वादीगण का वाद स्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार किये जाने योग्य है। अंत में दावा वादी खारिज किया जावे।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज जमाबंदी का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार विवेचन किया जाना उचित प्रतीत होता है जो निम्न प्रकार है:–

विवाद्यक संख्या 1 व 2 को साबित करने का भार वादीगण पर है। ये दोनों विवाद्यक एक–दूसरे के पूरक होने से दोनों का विवेचन किया जाना उचित है। इन विवाद्यक के संबंध में वादीगण ने नकल जमाबंदी 2019–22 प्रदर्श–3 एवं नकल सेंटलमेट खातौनी संवत 2015 प्रदर्श–7 पेश की है। जिसमें वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 8749 वादीगण के पिता उगडसिंह पुत्र भजन सिंह कौम राजपूत सा. देह करौली के नाम खातेदारी में दर्ज है एवं मौखिक साक्ष्य में वादी जयसिंह व गवाह बलदेव सिंह ने भूमि पर कब्जा वादीगण का होना बताया है एवं जिरह में डीडब्ल्यू–1 सरदार सिंह प्रतिवादी ने जिरह में वादीगण के हक में घोषणा खातेदारी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं स्वीकार किया है। इन विवाद्यकों के खण्डन में प्रतिवादीगण द्वारा संवत 2015 से पूर्व का कोई राजस्व रिकॉर्ड पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे भूमि वादीगण के पिता उगडसिंह के

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

खातेदारी व कब्जे की होना प्रकट होता है। वादीगण भूमि की खातेदारी घोषण अपने हक में कराने एवं प्रतिवादीगण को पाबंद कराने के हकदार है। अतः विवाद्यक संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व तय कर निर्णित किये जाते है।

विवाद्यक संख्या 3 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने इस विवाद्यक के संबंध में कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नहीं किया है। जिससे वादीगण को वाद म्याद बहार हो बल्कि धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में घोषण खातेदारी की कोई म्याद निर्धारित नहीं है। इस प्रकार दावा वादीगण अन्दर म्याद है। अतः विवाद्यक संख्या 3 प्रतिवादीगण के विरूद्व वादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 4 अनुतोष है। विवाद्यक संख्या 1 ता 3 के विवेचन से एवं पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2019–22 प्रदर्श–3, जमाबंदी संवत 2015 प्रदर्श–7 से भूमि वादीगण के पिता उगड सिंह पुत्र भजन सिंह के तनहा खातेदारी की होना नामांतकरण नंबर 336 प्रतिवादीगण के हक में 3/4 हिस्से का गलत दर्ज होना प्रकट होता है। जिसका कोई खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य से नहीं किया गया है। वादीगण भूमि की खातेदारी घोषणा अपने हक में कराने के हकदार है और प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के हकदार है। दावा वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। वादीगण को वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 8749 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा ग्राम कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 10 तहसील करौली

2/11

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह भूमि को रहन–बय नहीं करें एवं वादीगण के कब्जे काश्त में मदाखलत नहीं करें। प्रतिवादी नंबर 16 वादीगण के हक में राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी इन्द्राज अमल करें। प्रतिवादी नंबर 1 ता 15 का नाम खातेदारी से हजफ किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार, करौली को भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/5/26..... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली